

पत्र संख्या-11/आ०वि०-01/2024 सा.प्र.....1014

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।

सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....18-01-24

विषय :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 एवं परिपत्र संख्या-21485 दिनांक-22.11.2023 के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा राज्य प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है तथा विभागीय परिपत्र संख्या-21485 दिनांक-22.11.2023 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम-19, 2023) के आलोक में रोस्टर क्लीयरेंस संबंधी विस्तृत दिशा-निदेश परिचारित किये गए हैं।

अतः उपर्युक्त दिशा-निदेशों को और स्पष्ट करने हेतु निम्नांकित स्पष्टीकरण परिचारित किया जा रहा है :-

1. (क) राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए नियुक्ति में आरक्षण संबंधी संकल्प संख्या-962 दिनांक 22.01.2021 परिचारित है, जिसकी कंडिका-09 में निहित प्रावधानों के अनुसार यदि दिव्यांगजन हेतु अनुमान्य पद किसी कारण से दिव्यांगजनों की गैर उपलब्धता के कारण या अन्य कोई पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकेगी, तो ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणित की जाएगी।

(ख) विभागीय परिपत्र संख्या-21485 दिनांक-22.11.2023 की कंडिका-(ix) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :-

“मात्र चालू रिक्ति के विरुद्ध ही दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा-पोता/पोती, नाति/नतिनी को यथास्थिति क्षैतिज आरक्षण देय होगा।”

पृच्छा का बिन्दु - उपर्युक्त में दिव्यांगता आधारित आरक्षण के अंतर्गत इसे मात्र चालू रिक्ति के विरुद्ध ही अनुमान्य कराये जाने का तात्पर्य क्या है ?

स्पष्टीकरण (1) - विभागीय संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति के किसी समव्यवहार में दिव्यांगता आधारित किसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण इनके लिए कर्णांकित रिक्ति भरी नहीं जा सकी हो, तो इनके लिए गैर आरक्षित कोटि में उतनी रिक्ति, जितनी संख्या में नहीं भरी गयी हो, के साथ पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणित की जाती है, अर्थात् दिव्यांगजनों के लिए कैरी फॉरवर्ड का प्रावधान बिहार सरकार की सेवाओं में भी है। इस प्रकार विभागीय संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 के प्रावधान ही सम्प्रति प्रभावी है, जिसके अनुसार दिव्यांगों के लिए उपलब्ध रिक्ति नहीं भरे जाने की स्थिति में उक्त पद अनारक्षित (UR) कोटि के पद के रूप में अगले भर्ती वर्ष के लिए सुरक्षित/अग्रणित कर दी जायेगी।

उदाहरणस्वरूप, यदि 100 रिक्तियों में दिव्यांगजनों हेतु अनुमान्य 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध मात्र 3 दिव्यांग ही उपलब्ध हो सके तो दिव्यांगों हेतु अनफिल्ड एक पद अनारक्षित (UR) कोटि के पद के रूप में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रणित की जाएगी।

(2) जहाँ तक परिपत्र संख्या-21485 दिनांक-22.11.2023 की कंडिका-(ix) में अंकित चालू रिक्ति का तात्पर्य है, तो यह स्पष्ट है कि दिव्यांगता संबंधी आरक्षण उर्ध्वाधर आरक्षण के तहत उपलब्ध चालू रिक्ति के विरुद्ध दी जा सकेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए परिगणित बैकलॉग रिक्ति के विरुद्ध नहीं दी जा सकेगी।

उदाहरणस्वरूप यदि कुल 60 रिक्ति हो जिसमें 20 बैकलॉग तथा 40 चालू रिक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में दिव्यांगता संबंधी आरक्षण मात्र 40 रिक्तियों के लिए ही देय होगा।


2. उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में -

पृच्छा का बिन्दु - सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 के कार्यान्वयन के संबंध में पृच्छा यह है कि उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी धारित पद पर कार्यरत माने जाएंगे अथवा उच्चतर पद पर ?

स्पष्टीकरण - अंकनीय है कि महालेखाकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के पक्ष में उच्चतर पद (उत्क्रमित) के समकक्ष वेतन स्तर का वेतन पुर्जा निर्गत किया जा रहा है न कि पूर्व धारित पद का। यह भी कि यदि कोई कर्मी उच्चतर पद पर उत्क्रमित हो गया है, तो धारित पद स्वतः रिक्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कर्मी एक साथ दो पदों के विरुद्ध कार्यरत नहीं रह सकता है। साथ-हीँ चूँकि उच्चतर पद का प्रभार संबंधी यह व्यवस्था विशुद्ध रूप से रिक्ति के विरुद्ध की गयी है। अतएव उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने के फलरूप स्वभाविक रूप से रिक्त हुए पदों को रिक्ति (Vacancy) मानते हुए उसके विरुद्ध नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करते ही धारित पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। अर्थात् वैसे पदाधिकारी/कर्मचारी का पदनाम उच्चतर पद के अनुसार होगा तथा धारित पद रिक्त माना जाएगा।

विश्वासभाजन


(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।